संख्या-298/2021/826रासनि/23-1-21-72रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 23 नवम्बर, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के कुल 18 मार्गों** के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष **कुल रू0 16,96,67,000/- (रूपये सोलह करोड़ छियानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(3) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रायोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक "3054**-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-298/2021/826**रासनि(1)/23-1-21, तददिनांक।।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0-298/2021/826रासनि/23-1-21-72रासनि/20, दिनांक 23.11.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	मुख्य अभियंता(मु0–1), लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Aligarh	गोपी से विजयगढ़ मार्ग।	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	125.91	2.67	10.00	113.24	57.96
2	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Sonbhadra	वैनी नगांव नन्दना से सरईगढ़ सम्पर्क मार्ग।	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	123.70	63.17	0.00	60.53	54.35
3	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	BARABANKI	वि0खं0–सूरतगंज में झंझरा छेदा टऊआ सूरतगंज (अ0जि0मा0) मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। किमी0–8(600), 9, 10, 11, 12(700)	60 /2021 /1224 रासनि /23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 24.02.2021	51.83	10.37	0.00	41.46	25.92
4	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	BAHRAICH	जनपद बहराइच में नानपारा गढ़ीघाट बंजरिया पतरहिया मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0–12(150) में सरयू नदी स्थित गढ़ी घाट सेतु के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	46 /2020 /554 रासनि /23–1–20–40 रासनि/20 दिनांक 27.02.20	453.98	113.58	0.00	340.40	317.70
5	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	BAHRAICH	देवरायपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0–1,2,3 व 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	64 /2020/ 659 रासनि /23–1–20–23 रासनि/19 दिनांक 17.03.20	43.18	35.48	0.00	7.70	5.54
6	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	BAHRAICH	बहराइच फैजाबाद आजमगढ़ मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	300.90	173.89	0.00	127.01	111.97
7	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Deoria	वि0खं0 गौरीबाजार से पाननकुण्डा हनुमान मंदिर से भटौली तिराहा सम्पर्क मार्ग किमी0–1 व 2(500)में विशेष मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 रोड तथा नाली का कार्य।	35 /2021 /76 रासनि /23–1–20–44 रासनि/20 दिनांक 03.02.2021	44.49	8.90	0.00	35.59	22.25
8	793सी/191सी/3054सामान्य मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Deoria	श्री रामजानकी मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	375.19	300.15	0.00	75.04	56.28
9	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Aligarh	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत पी0टी0ए0 मार्ग से मोर मानपुर वाया खण्डेहा बाजौता मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	114 /2021/603 रासनि/23–1–21–94 रासनि/20 दिनांक 25.03.2021	59.74	2.99	0.00	56.75	29.87
10	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Hathras	सादाबाद जलेसर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0 106) कि0मी0 2 से 7	93 /2021 /561 रासनि/23–1–21–51 रासनि/20 दिनांक 15.03.2021	159.07	3.18	0.00	155.89	79.54
11	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Badaun	बी0एस0 मार्ग से नौसेना वॉया चन्दौरा मार्ग के किमी0–1, 2, 3(500) में विशेष मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23–1–21–50 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	56.95	2.85	0.00	54.10	28.48
12	794सी/191सी/सामान्य 3054	Badaun	दातागंज तिराहा से कचहरी लालपुल मार्ग के किमी0–03	97 /2021/407 रासनि/23–1–21–50	51.24	2.56	0.00	48.68	25.62

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र. सं.	मुख्य अभियंता(मु0–1), लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मूल/21–22, दि0 13.08.2021		में विशेष मरम्मत का कार्य	रासनि/20 दिनांक 17.03.2021					
13	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Badaun	फरीदपुर सदी से कण्डेला सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	97 /2021/407 रासनि/23–1–21–50 रासनि/20 दिनांक 17.03.2021	42.50	2.13	0.00	40.37	21.25
14	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Bhadhohi	वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	333.50	85.56	0.00	247.94	231.27
15	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Bhadhohi	चील्ह गोपीगंज मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	173.43	70.62	0.00	102.81	94.14
16	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Bhadhohi	जंगीगंज धनतुलसी मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	339.82	73.09	0.00	266.73	249.74
17	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Pratapgarh	अठेहा उमरार, ननौती, मुस्तफाबाद, रेहुआ लालगंज अगई, रानीगंज नरई मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	347.09	173.55	0.00	173.54	152.18
18	794सी/191सी/सामान्य 3054 मूल/21–22, दि0 13.08.2021	Pratapgarh	देवरी अठेहा लालगंज जलेसरगंज रामपुर भटनी जलालपुर मनीपुर मनुहार मार्ग	63 /2020 /681 रासनि/23–1–20–51 रासनि/20 दिनांक 17.03.2020	301.82	154.12	0.00	147.70	132.61
				योग					**1696.67**

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।